(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
रसद अपील : 265/2023
तारीख रजू : 22.09.2023

निर्णय दिनांक : 16.07.2024

उनवान

1. होशियार सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी मौठुका , उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मौठुका, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। .

– अपीलार्थी

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राज0।

– प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.3.2021 जिला रसद अधिकारी, अलवर जिनके द्वारा प्रकरण सं. 211/2019 बअनुवान सरकार बनाम होशियार सिंह में अपीलान्ट (पॉस कोड 16193) का प्राधिकार पत्र सं. 853/96 विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने, साक्ष्य का अवसर दिये बिना निरस्त कर दिया गया, जमा प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, को मंसुख फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए उचित मूल्य सामग्री का उठाव एवं वितरण करने की आज्ञा प्रदान करने व अन्य उचित दादरसी हेतु ।

उपस्थित :–

1. वकील श्री श्योरामसिंह नरूका अपीलार्थी की ओर से।
2. विभागीय पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 22.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 30.03.2021 को प्रकरण संख्या 211/2019 बउनवान सरकार बनाम होशियार सिंह में यह निर्णय पारित किया है कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 6, 8, 10, 11, 17(सी), 18 एवं खण्ड 6, 20 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण अपीलार्थी होशियार सिंह पुत्र मोहरसिंह उचित मुल्य दुकानदार, पॉस कोड 16193, ग्राम पंचायत मौठुका, तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0 का प्राधिकार पत्र संख्या 853/96 को निरस्त किये जाने तथा अपीलार्थी की जमा प्रतिभूति राशि जप्त सरकार करने एवं अपीलार्थी के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर विभागीय पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की प्रत्यर्थी द्वारा अपीलाण्ट पर आरोप लगाया कि अपीलान्ट के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डावर श्री सुदर्शन कुमार केपी व प्रवर्तन निरीक्षक बानसूर श्री हरिप्रसाद द्वारा शिकायतकर्ता के दबाव में आकर मनमाने रूप में की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 07.12.2019 व 08.12.2019 के आधार पर मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 12.12.2019 को निलंबित कर दिया गया था, जिस निलंबन के पश्चात दिनांक 07.1.2020 को अपीलान्ट के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका विस्तृत जवाब मिन अपीलान्ट के द्वारा मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के कार्यालय में दिनांक 20.3.2020 को पेश कर दिया गया था। दिनांक 05.6.2020 को अपीलान्ट ने मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के समक्ष उपस्थित होकर चीनी, कैरोसीन के सम्बन्ध में पुनः जवाब व साक्ष्य मय स्टॉक रजिस्टर, बिलों की छाया प्रति पेश की, जिस पर तत्समय अपीलान्ट को सुनकर मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। परन्तु विभागीय प्रकरण विचाराधीन रख लिया। उक्त के पश्चात अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई जांच की गई, ना ही कोई आरोप पत्र जारी किया गया। कोविड–19 के चलते मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर अपने कार्यालय में नही बैठे, जिस कारण से प्रकरण में तारीखें लगती रही। जब भी अपीलान्ट मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के समक्ष उपस्थित हुआ तो अपीलान्ट को यही कहा जाता रहा कि कोविड–19 के प्रभाव जारी है, जब भी अपीलान्ट के प्रकरण में सुनवाई होगी, अपीलान्ट को नोटिस जारी कर सूचित कर दिया जावेगा। इस कारण से दिनांक 18.2.2021 व 08.3.2021 की प्रकरण में तारीख पेशियों की अपीलान्ट को जानकारी नहीं हो सकी, जिसके उपरान्त दिनांक 30.3.2021 को मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा मिन अपीलान्ट को बिना सूने, बिना सूचित करे, एकपक्षीय रूप में आलोच्य निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत मौठुका का प्राधिकार पत्र विधि विरूद्ध तरीके पर निरस्त कर दिया गया, जो निर्णय अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण सं. 211/2019 दर्ज किये जाने से पूर्व भी दिनांक 17.7.2019 को 02 प्रवर्तन अधिकारी क्रमशः श्री रामस्वरूप प्रवर्तन अधिकारी बानसूर, श्री पुखराज कासोटिया प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय अलवर द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच की गई थी, जिस जांच में अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। उचित मूल्य सामग्री चीनी, कैरोसीन, गेहूं का स्टॉक मुताबिक रजिस्टर सही पाया गया था और उस जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है बल्कि जो 02 शिकायतकर्ता हैं, वो आपसी जमीन रंजिश व राजनैतिक रंजिश के चलते शिकायत करते है। जिला रसद अधिकारी ने आलोच्य निर्णय में जांच रिपोर्ट दिनांक 07.12.2019 एवं 08.12.2019 में वर्णित आरोपों को आधार बनाया गया है, जो आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं है, जिन आरोपों का मिन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.3.2020 व 05.6.2020 को विस्तृत जवाब मय दस्तावेज के मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जवाब सही मानकर जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 05.6.2020 को बहाल किया गया था। जांच रिपोर्ट दिनांक 08.12.2019 में कैरोसीन बाबत जो आरोप लगाया गया है, वो गलत लगाया गया है। पॉस मशीन जब चालू हुई थी, उससे पूर्व कैरोसीन का स्टॉक वर्ष 2015 का मिन अपीलान्ट के पास था, जिस स्टॉक का वितरण किया गया था एवं वर्ष 2015 के वितरण रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर भी उस समय उपलब्ध करा दिये गये थे। उपभोक्ता रामसिंह का 07 लीटर कैरोसीन का ऑनलाईन फर्जी ट्रांजेक्शन का आरोप गलत है। उपभोक्ता रामसिंह के द्वारा पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर 07 लीटर कैरोसीन स्वयं द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसके द्वारा जांच के दौरान प्रवर्तन अधिकारी को भी इस तथ्य से अवगत करा दिया गया था। इसलिए अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आरोप गलत साबित हुआ है। अपीलान्ट के विरूद्ध जांच रिपोर्ट दिनांक 08.12.2019 में उपभोक्ता नेमीचन्द को 75 किग्रा गेहूं एवं उपभोक्ता रोहताश को 75 किग्रा गेहूं दिये जाने के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं करने का आरोप है, जबकि उपभोक्ता नेमीचन्द व रोहताश स्वयं एवं उनके परिवार के सदस्य पॉस मशीन के जरिये अंगूठा लगाकर ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के माध्यम से राशन सामग्री गेहूं को प्राप्त किया गया है। उपभोक्ताओं के द्वारा उचित मूल्य की गेहूं को वर्ष 2016 में उठाया गया है एवं उक्त बाबत झूठी शिकायत 03 वर्ष पश्चात वर्ष 2019 में की गई है। राशन सामग्री नहीं देने का आधार व साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति विभाग के संशोधित आदेश, क्रमांक एफ. 13 (49) खा.वि./आवंटन/2015–जयपुर दिनांक 24.3.2017 में क्रम सं. 1 पर दर्ज किया गया है कि 'विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.8.2016 के बिन्दु संख्या 1 की प्रक्रिया सामान्य रूप से विलोपित कर, दिनांक 01.4.2017 के उपरान्त राशन सामग्री का पॉस मशीन उपयोग कर ही भामाशाह/आधार के माध्यम से बायोमैट्रिक अथवा ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरान्त वितरित की जा सकेगी।' उक्त आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी, अलवर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मीटिंग करके समस्त राशन डीलरों को यह निर्देश दिये थे कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को पॉस मशीन से वितरण करना है, यह ऑनलाईन वितरण व्यवस्था है, जिसमें राशन कार्ड में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं है, अपीलान्ट वर्ष 1996 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अंत में अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण सं. 211/2019 बअनुवान सरकार बनाम होशियार सिंह में पारित निर्णय दिनांक 30.3.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस कोड 16193) का प्राधिकार पत्र सं. 853/96 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के जो आदेश दिये गये हैं, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 853/96 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान,, ग्राम पंचायत मौठुका , तहसील बानसूर, अलवर (राज०) का उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद (जिला रसद अधिकारी) ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि माननीय खाद्य मंत्री महोदय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार की दिनांक 07.12.2019 को सर्किट हाउस अलवर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत मोठूका तहसील बानसूर के राशन डीलर श्री होशियार सिंह पॉस कोड 16193 उचित मूल्य दुकानदार ग्राम मोठूका अलवर द्वारा की गई जिसकी जांच श्री हरिप्रसाद प्रवर्तन अधिकारी कठूमर तथा श्री सुर्दशन कुमार के.पी प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डावर द्वारा दिनांक 07.12.2019 एवं 08.12.2019 को की गई। होशियार सिह उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशन सामग्री वितरण में अनियमितताऐं बरते जाने बाबत् विभागीय कार्यवाही के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी का प्राधिकार पत्र आदेश क्रमांक रसद/2019/20410 दिनांक 12.12.2019 को प्रथम दृष्टया राशन सामग्री वितरण में पाई गई

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अनियमितताओ के कारण निलम्बित कर दिया गया। प्रार्थी की ग्राम मौठुका तहसील बानसूर की राशन वितरण सम्बन्धी शिकायत श्री रोहिताश जाट पुत्र बेगराज जाट पुत्र नेमीचन्द पुत्र रामेश्वर जाट, रामजीलाल पुत्र खुबाराम, करण सिंह पुत्र सूरजभान जाट, लहरी पुत्र प्रसादी जाट, धर्मसिंह पुत्र बनवारी लाल जाट, सुबेसिह पुत्र प्रसादी जाट, निवासीयान मौठुका तहसील बानसूर द्वारा किये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक श्री हरिप्रसाद व सुदर्शन कुमार केपी द्वारा जांच की गई तथा जांच में अनियतितता पाये जाने पर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र जरिये आदेश क्रमांक रसद/2019/20410 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा निलम्बित किया जाकर प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस क्रमांक रसद/अभियोजन/2020/21354–बी दिनांक 07.01.2020 को जारी किया गया। जांच दल की रिपोर्ट अनुसार होशियार सिंह उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निम्न अनियमितताएं करना पाया गयाः–

- वक्त निरीक्षण दुकान पर पॉस मशीन से उपभेक्ताओ को वितरण की पर्ची/बिल नहीं देना पाया गया।
- माह नवम्बर 2019 एवं दिसम्बर 2019 के गेहू के बिल पेश नहीं किये।
- दुकान पर सक्षम अधिकारियो के दूरभाष नम्बरों का अंकन नहीं करना पाया गया।
- मासिक रिर्टन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई।
- माह दिसम्बर 2019 की राशन सामग्री बिना सूचना के अप्रमाणित गोदाम में भण्डारण करना पाया गया।
- वक्त जांच 5.50.850 क्विं0 चीनी भौतिक सत्यापन पर नहीं पाई गई।
- माह अक्टूबर 2016 अक्टूबर 2018 तक 7112.03 लिटर करोसिन का आपूर्ति से अधिक वितरण किया जाना पाया गया।
- रामसिह पुत्र श्री कालूराम के राशन कार्ड संख्या 007293500578 का 07 लीटर केरोसीन फर्जी ट्राजेक्शन कर दुरूपयोग करना पाया गया।
- श्री अमर सिंह के राशन कार्ड संख्या 007293500589 का 07 लीटर केरोसीन फर्जी ट्रांजेक्शन कर दुरूपयोग करना पाया गया।
- शिकायत कर्ता/उपभोक्ता श्री नेमीचन्द जाट, रोहिताश जाट, रामजीलाल, सुबेसिह, लहरी राम, करण सिह निवासी ग्राम पंचायत मौठुका के द्वारा दिये गये बयान व उनके राशन कार्डो के ऑनलाईन ट्राजेक्शन वितरण की जांच करने पर इनके राशन काडो का कुल 490 किलो ग्राम गेहू व 31 लीटर केरोसीन फर्जी तरीके से निकाल कर राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है।
- उचित मूल्य दुकानदार को आवंटित 100 किलो ग्राम चीनी का उठाव नही किया गया। उचित मूल्य दुकानदार का उक्त कृत्य कर राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,6,10,11,17 (सी). 18 एवं खण्ड 6, 20 तथा राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानो तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानो का भी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाण्ट के विरूद्ध उपभोक्ताओ द्वारा उचित मुल्य राशन सामग्री वितरण से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत नही है तथा अपीलाण्ट के विरूद्ध आरोप सिद्ध व साबित नही होते हैं उसके उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित किये जाने पर जिला रसद अधिकारी अलवर के द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये है तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उचित समय दिया गया था। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि प्रत्यर्थी द्वारा विधि विरूद्ध, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत, मनमाने रूप से, बदनियतिपूर्वक विवादित आदेश दिनांक 30.03.2021 पारित कर अपीलार्थी का प्राधिकरण पत्र निरस्त किया गया है। अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा में कोई ठोस दस्तावेज ना तो जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये है इसलिए प्रार्थी के तर्को को बल नहीं मिलता है। जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को सरे इजलास सुना गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
अति. कलक्टर
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)